न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध अपील वाद संख्या– 02/2016–17

रोबिन लाहा –बनाम्– रामदास लाहा एवं अन्य

–:आदेश:–

ची 14–फारम सं0 563

देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
16/01/20	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपीलार्थी रोबिन लाहा, पिता स्व0 अजीत लाहा, सा0 मेन रोड़, चास, थाना चास, जिला बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी, चास के भू–मापी वाद सं0 94/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।	

विवादित भूमि				
मौजा	**थाना नं0**	**खाता नं0**	**प्लॉट नं0**	**रकवा**
चास	30	675	3727	0.60ए0

अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन एवं लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी, चास के भू–मापी वाद सं0 94/2015–16 में दिनांक 05.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध आवेदन दाखिल किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि निदेशक, भू–राजस्व एवं भूमि सुधार झारखण्ड सरकार, राँची के निदेश के आलोक में आवेदक के मौजा चास, खाता सं0 675, प्लॉट सं0 3727, रकवा 60डी0 भूमि का भू–मापी कर स्वामित्व दिलाने से संबंधित था। इनके द्वारा बताया गया है कि मौजा चास, खाता सं0 675, प्लॉट सं0 3727, कुल रकवा 60डी0 भूमि सष्टी लाहा को रैयती हक प्राप्त है जिसपर वंशानुगत तरीके से बाउण्ड्री देकर दखलकार रहते हुए जमींदार तथा सरकार को राजस्व का भुगतान करते आ रहे है। गोकूल महतो एवं अन्य तथा हराधन महतो एवं अन्य के बीच बँटवारा सुट 1629 एवं 1606/1920 सब जज पुरूलिया में खेवट सं0 4/1 से 4/26 एवं 5/1 से 5/21 चला था। मोची राम महतो एवं अन्य के द्वारा जारीवाद सं0 322/1931 के द्वारा निलाम में खरीदा गया था। तत्पश्चात् रूप लाल महतो ने निबंधित केवाला सं0 2411 दिनांक 03.05.1929 के द्वारा खेवट सं0 4/1 से 4/26 तथा 5/1 से 5/21 को बिक्री किया। पुनः गंधु महतो एवं अन्य के द्वारा केवाला सं0 2319 दिनांक 19.03.1940 को रूप लाल महतो को बिक्री किया। रूप लाल महतो ने सष्टी लाहा के नाम से रिर्टन दाखिल किया जिसका क्षतिपूर्ति अभिलेख सं0 1069/1957–58 के क्रम सं0 41 में दर्ज है। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार को थोका सं0 170/3 के द्वारा राजस्व का भुगतान किया जा रहा है। इन्होने यह भी कहा है कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा भू–मापी वाद सं0 94/2015–16 में दो बार मापी किस आधार पर किया गया, उसका उल्लेंख आदेश में नहीं है। विपक्षी का जमाबंदी सं0 9/76, 289/II

एवं 553/9 को काल्पनिक एवं गलत बताया है। विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का किसी भी प्रकार का स्वत्व, स्वामित्व एवं दखल कब्जा नहीं है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा उक्त भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा होने की पुष्टि करते हुए मामला हक एवं स्वत्व से संबंधित होने के कारण बिना प्रभावी आदेश के अभिलेख की कार्यवाही समाप्त किया गया। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा परित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अंत में इनके द्वारा भू–मापी अभिलेख सं0–94/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रत्युत्तर एवं लिखित बहस दाखिल किया गया। इनके द्वारा बताया गया है कि वर्तमान अपील चलने योग्य नहीं है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा भू–मापी अभिलेख 94/2015–16 में पारित आदेश न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए किया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन के कंडिका 3 में स्थल मापी कर स्वामित्व दिलाने का उल्लेख किया गया है, जो न तो अंचल अधिकारी, चास और न ही माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। इन्होने कहा है कि मौजा चास के खाता सं0 675, खेसरा सं0 3727, रकवा 60डी0 रैयती भूमि है जो गत सर्वे में लक्ष्मी नारायण लाहा के नाम से दर्ज था। लक्ष्मी नारायण लाहा के चारा पुत्र 1. अभिलास लाहा 2. गोबिन्द लाहा 3. राखोहरि लाहा एवं 4. संतोष लाहा हुए। अभिलास लाहा के दो पुत्र परेश चन्द्र लाहा एवं मुरली लाहा हुए। परेश चन्द्र लाहा के दो पुत्र अनील लाहा एवं सुनील लाहा (वि0सं0 13) मुरली लाहा के दो पुत्र अशोक कुमार लाहा (वि0सं0 14) एवं बासुदेव लाहा हुए बासुदेव लाहा के दो पुत्र मधुसूदन लाहा एवं सिद्धेश्वर लाहा जो पक्षकार नहीं है। गोविन्द लाहा के तीन पुत्र 1. कालीपद लाहा 2. वंशीधर लाहा एवं 3. गाँधी लाहा (वि0सं0 15) कालीपद लाहा के दो पुत्र पुरन चन्द्र लाहा मनबोध लाहा एवं विधवा सुन्दरा बाला दासी हुए। पुरन चन्द्र लाहा के पुत्र 1. शक्ति लाहा (वि0सं0 6) 2. मथुर लाहा (वि0सं0 7) कृष्ण लाहा (वि0सं0 08), मनबोध लाहा के एक मात्र पुत्र भैरव लाहा (वि0सं0 09) बंशीधर लाहा के तीन पुत्र शंकर लाहा (वि0सं0 12) 2. राधेश्याम लाहा (वि0सं0 10) 3. गोपाल चन्द्र लाहा (वि0सं0 11) एवं संतोष लाहा के पुत्र पथिक चन्द्र लाहा (वि0सं0 7) एवं देवदास लाहा (वि0सं0 5) एवं राखोहरि लाहा के तीन पुत्र रामदास लाहा (वि0सं0 1) 2. दुलाल चन्द्र लाहा (वि0सं0 2) एवं दुर्गादास लाहा (वि0सं0 3) है। खतियानी रैयती जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदार को तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार एवं वर्तमान में झारखण्ड सरकार लगातार राजस्व को भुगतान थोका सं0 289/II, 09/76, 553/9 में रह रहे है। परेश चन्द्र लाहा ने अपने हिस्से की 7½डी0 राखोहरि लाहा एवं संतोष कुमार लाहा को केवाला सं0 12846 दिनांक 09.09.1961, मुरलीधर लाहा ने गोविन्द लाहा को अपना हिस्सा केवाला सं0 14956 दिनांक 28.11.1950, गोविन्द लाहा ने सुन्दरा बाला दासी को 21½डी0 केवाला सं0 21309, 21323 दिनांक 01.09.1971 संतोष कुमार लाहा ने 4¾डी0 रामदास लाहा

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

2. दुलाल चन्द्र लाहा एवं दुर्गादास लाहा को केवाला सं0 7760 एवं 7761 दिनांक 14.10.1977 को बिक्री किया गया। सभी क्रेतागण दाखिल खारिज करवाकर राजस्व का भुगतान करते आ रहे है। इन्होने यह भी कहा है कि सम्पूर्ण रकवा 60डी0 में पक्का बाउण्ड्री दुर्गा साँ मील एवं मकान एवं दुकान बनाकर दखलकार है। दुर्गा साँ मिल 1972 से चल रहा है उक्त भूमि पर बिहार सरकार, लद्यु उद्यौग निदेशालय के द्वारा प्रमाण पत्र सं0 376 दिनांक 09.02.1990 को निर्गत किया गया है। विपक्षी के द्वारा 1977 से Sale Tax का भुगतान किया जा रहा है। उपर्युक्त भूमि पर कुल 09 दुकाने स्थित है जिसमें विभिन्न भाड़ेदार अपना–अपना व्यवसाय कर रहे है तथा भाड़े का भुगतान द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा होल्डिंग टैक्स नगर निगम एवं विद्युत बिल का भुगतान विद्युत विभाग को किया जा रहा है। इन्होनें यह भी उल्लेख किया कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा दिनांक 24.01.2016 के प्रेषित जांच प्रतिवेदन में कहा है कि उक्त भूमि पर आवेदक (रोबिन लाहा) या इनके पूर्वजो का कभी भी दखल–कब्जा नहीं रहा है। जबकि खतियानी रैयत के वंशज का दखल–कब्जा है। उक्त भूमि पर विपक्षी के द्वारा घर, दुकाने आरामिल एवं चाहर दिवारी अवस्थित है जिसकी जमाबंदी थोका 289/II, रकवा 0.41½ए0 थोका सं0 553/9, रकवा 0.04¾ए0 रामदास लाहा, दुलाल चन्द्र लाहा, दुर्गादास लाहा एवं जमाबंदी सं0 09/76, रकवा 14डी0 राखोहरि लाहा के नाम से चलने का उल्लेखित किया गया। विपक्षी ने यह भी कहा है कि जमींदार के द्वारा दाखिल Returns त्रुटिपूर्ण एवं अव्यवाहारिक क्योकि खाता सं0 770 का रिर्टन सष्टी लाहा के नाम से है जबकि खतियान रासबिहारी लाहा, लक्ष्मी नारायण लाहा एवं सष्टी लाहा के नाम से दर्ज था तथा उक्त भूमि को तीनों खतियान धारी ने बिक्री किया। बँटवारा वादा सं0 1629 एवं 1606/1920 का संबंध खेवटदारो से था न कि रैयतों से उक्त वाद में लक्ष्मी नारायण लाहा पक्षकार नहीं थे। विपक्षी ने यह भी कहा है कि रैयती भूमि का रिटर्न नही दाखिल किया जा सकता है। अपीलार्थी उक्त भूमि कैसे प्राप्त हुआ का उल्लेख नहीं किया गया, जो संदेह को उत्पन्न करता है। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्युत्तर में कहा गया कि Return सष्टी लाहा एवं दीगर के नाम से दाखिल किया गया परन्तु दीगर में किन–किन व्यक्तियों का नाम है, उसका उल्लेख नहीं किया गया। उन्होनें यह भी कहा कि अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात जाली एवं बनावटी है जो सन्देह को उत्पन्न करता है। विवादित भूमि पर कभी भी अपीलार्थी का दखल–कब्जा नहीं रहा। अन्त में अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, चास के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। मौजा चास, खाता सं0 675, प्लॉट सं0 3727, रकवा 60डी0 भूमि गत सर्वे खतियान में लक्ष्मी नारायण लाहा के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के द्वारा सष्टी लाहा के नाम से रिर्टन दाखिल होने का उल्लेख किया गया है परन्तु उनके द्वारा इससे संबंधित कोई ठोस कागजात न्यायालय में प्रस्तुत नहीं

अनुसूची 14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	किया गया। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि की मापी अंचल अमीन द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। उक्त भूमि पर लक्ष्मी नारायण लाहा के वंशजों का दखल—कब्जा है जिसपर घर, दुकान, आरामिल एवं चाहरदिवारी अवस्थित है जिसकी जमाबंदी थोका सं0 289/II, 553/9 एवं 09/76 में चल रही है। अंचल अमीन एवं राजस्व कर्मचारी द्वारा भी सम्पूर्ण भूमि पर विपक्षी का दखल—कब्जा होने का उल्लेंख किया गया है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा स्वामित्व का विवाद होने का उल्लेंख किया गया है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा भू—मापी अभिलेख सं0—94/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतित नहीं होता है एवं अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 16/01/20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास। 16/01/20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 13:32:14 +05:30
Location: 192.168.1.42